



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 434 राँची, शुक्रवार

29 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

19 जून, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2015

संख्या-4/न०वि०/गठन/107/2015-2072-- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम-2, 1995 के द्वारा यथा संशोधित), जो उस समय झारखण्ड राज्य में अंगीकृत था, की धारा-6 के साथ पठित धारा-390 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पाकुड़ नगरपालिका को नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-373, दिनांक 06 फरवरी, 2006 के द्वारा पाकुड़ नगर पंचायत का गठन किया गया था।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-8 में "नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण" के अन्तर्गत पूर्व गठित नगर निकायों को पूर्ववर्ती जनसंख्या के प्रकाशित आँकड़ों के आधार पर वर्गीकृत करने एवं धारा-13 "नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का पुर्नगठन" के अन्तर्गत पूर्व से गठित नगर निकायों को नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के रूप में घोषित करने का प्रावधान है।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 8 की उपधारा (2)(ii) के अनुसार यदि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक और एक लाख से कम हो तो उक्त नगर निकाय क्षेत्र को नगर परिषद वर्ग-'ख' के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान है।

4. झारखण्ड के राज्यपाल उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-331/न.पं., दिनांक 01 मार्च, 14 से प्राप्त प्रतिवेदन एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-8 एवं धारा-13 के आलोक में पाकुड़ नगर पंचायत की जनसंख्या 45,840 के आधार पर पूर्व से गठित पाकुड़ नगर पंचायत को पाकुड़ नगर परिषद्, वर्ग-'ख' के रूप में उत्क्रमित करते हैं।

5. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-3 के तहत पाकुड़ नगर परिषद्, वर्ग-'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
पाकुड़	पाकुड़ नगर परिषद्, वर्ग-'ख'	45,840	40000	20	5,840	6,000	0.97	0	20

पाकुड़ नगर परिषद वर्ग- 'ख' में आम (निकाय) निर्वाचन, 2018 के मद्देनजर झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के अध्याय-2, नियम-3 के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या-21 एवं पार्षदों की संख्या भी 21 निर्धारित करते हैं।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना/संकल्प/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
7. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।
